न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़बास जिला (खैरथल–तिजारा)

अध्याशितः– श्री मनीष कुमार जाटव आर0ए0एस

प्रा0पत्र सं0
09 / 25

दायर दिनांक
14.01.2025

निर्णय दिनांक
24.02.2025

उनवान

1. कल्लू पुत्र बोना जाति माली नि0 खैरथल तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा राज0।

:–प्रार्थी

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र चिरंजीलाल जाति माली
2. कन्हैयालाल पुत्र गुलाब जाति माली
3. कमलेश पुत्र लेखराम जाति माली
4. कुलदीप सैनी पुत्र भगवान सहाय जाति माली
5. जितेन्द्र कुमार सैनी पुत्र प्यारेलाल जाति माली
6. ताराचन्द पुत्र ग्यासीराम जाति माली
7. देवेन्द्र पुत्र लेखराज जाति माली
8. दिनेश उर्फ राजू पुत्र रामबाबू जाति माली
9. धन्नाराम पुत्र गुलाब जाति माली
10. धर्मेन्द्र कुमार पुत्र चिरंजीलाल जाति माली
11. नीरज कुमार पुत्र रामबाबू जाति माली
12. फूलचन्द पुत्र ग्सासीराम जाति माली
13. मंजू पुत्र भगवानसहाय जाति माली
14. यादराम पुत्र ग्यासीराम जाति माली
15. राकेश सैनी पुत्र प्यारेलाल जाति माली
16. रोहिताश पुत्र लेखराज
17. लक्ष्मी पुत्री लेखराज
18. शीला पुत्री लेखराज
19. हरिराम पुत्र मंगतूराम जाति माली
20. सुमन पुत्री प्यारेलाल
21. सरलादेवी पत्नि प्यारेलाल जाति माली निवासीयान खैरथल तहसील खैरथल जिला खैरथल–तिजारा राज0।
22. तहसीलदार लैण्ड होल्डर, खैरथल जिला खैरथल–तिजारा राज0।

:–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0टी0एक्ट

उपस्थितिः–प्रार्थी की ओर से श्री विजय चौधरी जी वकील।

अप्रार्थीगण की ओर से श्री सुधीर कुमार गुप्ता जी वकील।

निर्णय

प्रार्थना पत्र प्रार्थी निम्न प्रकार से प्रस्तुत हैः–

विवादित आराजी ख0नं0 808 रकबा 0.2900हे0, 809 रकबा 0.4200हे0, 810 रकबा 0.2400हे0, 811 रकबा 0.1900हे0, 815 रकबा 0.0800हे0, 816 रकबा 0.0500हे0, 817 रकबा 0.0400हे0, 820 रकबा 0.0400हे0, 822 रकबा 0.0400हे0 किता 9 रकबा 1.3900हे0 वाके

ग्राम खैरथल तहसील खैरथल में स्थित है जो आराजी प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में विवादित आराजी कहलावेगी। वास्ते मुलाहिजा नकल जमाबंदी सं0 2075–78 संलग्न वादपत्र है।

विवादित आराजी खसरा नं0 808 रकबा 0.2900हे0, 809 रकबा 0.4200हे0, 810 रकबा 0.2400हे0, 811 रकबा 0.1900हे0, 815 रकबा 0.0800हे0, 816 रकबा 0.0500हे0, 817 रकबा 0.0400हे0, 820 रकबा 0.0400हे0, 822 रकबा 0.0400हे0 किता 9 रकबा 1.3900हे0 में मिन वादी का 1/9 भाग कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है जो आराजी मिन वादी को विरासत में प्राप्त हुई है तथा असल प्रतिवादीगण व तर0प्रतिवादी का हिस्सा मुताबिक जमाबंदी संलग्न वादपत्र है। वास्ते मुलाहिजा नकल जमाबंदी संलग्न है।

विवादित आराजी मिन वादी व तर0प्रति0 वो असल प्रतिवादीगण की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है जिस पर मिन वादी अपने हिस्से की आराजी पर शान्तिपूर्वक काबिज व दखिल हूँ हम पक्षकारान के दरम्यिान आज तक कोई तकासमा नहीं हुआ है तथा विवादित आराजी पर हम पक्षकारान सामलात में ही काबिज व दखिल होकर काश्त कारोबार करते चले आ रहे है जब तक विवादित आराजी का कानूनन व वास्तविक बंटवारा नहीं हो जाता है तब तक प्रत्येक इंच भाग भूमि पर प्रत्येक हिस्सेदार का पूर्ण हक हिस्सा निहित है।

असल प्रतिवादीगण जो लठ बल व धन बल वाले व्यक्ति है जो कानून कायदों की कतई परवाह नहीं करते है तथा जबरदस्ती मिन वादी के हिस्से पर जबरदस्ती कब्जा करना चाहते है तथा आये दिन मिन वादी व तर0प्रति0 के कब्जे काश्त में मजाहमत व मदाखलत पैदा करते रहते है। इसलिए मिन वादी का अब प्रतिवादीगण असल के साथ शामलात में रहकर काश्त करना सम्भव नहीं है।

प्रतिवादीगण असल अब विवादित आराजी का बिला तकासमा कराये ही विवादित आराजी को बेचाना करना चाहते है आराजी में निर्माण करना चाहते है ऐसी सूरत में अब मिन वादी व तर0प्रति0 का असल प्रति0 के साथ सामलात में काबिज रहकर काश्त करना संभव नहीं रहा है इसलिए मिन वादी अपने 1/9 भाग का तकासमा बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स कराकर अलग से कुर्रेजात कायम कराने व अलग से लगान खाता कायम कराने के हकदार है व अलग से दखल प्राप्त करने का हकदार है कि जिसके लिए दावा तकासमा दायर करना लाजिम आया है।

मिन वादी ने प्रतिवादीगण असल से दिनांक 05.01.2025 को तकासमा कराने के लिए कहा तो प्रतिवादीगण असल ने तकासमा कराने से साफ इंकार कर दिया तथा मिन वादी को प्रतिवादीगण असल द्वारा ऐलानिया तौर पर धमकी दी कि वो विवादित आराजी को बिला तकासमा कराये ही बेचान करेंगे निर्माण करेगें, यदि वाकई प्रतिवादीगण असल अपने इन नापाक मंसूबो में कामयाब हो गये तो वादी को हर सूरत में अजहद हानि होगी दीगर मुकदमा बाजी में उलझना पडेगा हकूक वादी पर आवरण छा जावेगा वादी को उसकी आराजी के उपयोग उपभोग से बेजा महरूम होना पड जावेगा जिसकी पूर्ति किसी भी कीमत में रूपयों में नहीं आंकी जा सकेगी। इसलिए वादी प्रतिवादीगण असल को जरिये हुक्मइम्तनाई दवामी पाबन्द कराने का अधिकारी हूँ कि प्रतिवादीगण असल विवादित आराजी से जब्रन वादी व तर0प्रति0 को बेदखल ना करे, ना ही कब्जा काश्त में मजाहमत व मदाखलत पैदा करे, ना ही विवादित आराजी का कोई जुज किसी भी दीगर सख्स को रहन बैय हिबा लीज इत्यादि द्वारा मुन्तकिल करे। राजस्व रिकार्ड व मौका की यथावत् स्थिति कायम रखे।

अतः प्रार्थना है कि अप्रार्थीगण को ता फैसला दावा जरिये हुक्मइम्तनाई चन्दरोजा पाबन्द किया जावे कि वो विवादित आराजी खसरा नं0 808 रकबा 0.2900हे0, 809 रकबा 0.4200हे0, 810 रकबा 0.2400हे0, 811 रकबा 0.1900हे0, 815 रकबा 0.0800हे0, 816 रकबा 0.0500हे0, 817 रकबा 0.0400हे0, 820 रकबा 0.0400हे0, 822 रकबा 0.0400हे0 किता 9 रकबा 1.3900हे0 वाके ग्राम खैरथ तहसील खैरथल से जब्रन वादी व तर0प्रति0 को बेदखल ना करे, ना ही कब्जा काश्त में मजाहमत व मदाखलत पैदा करे, ना ही विवादित आराजी में कोई किसी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण करे, ना ही आराजी का कोई जुज किसी भी दीगर सख्स को रहन बैय हिबा लिज इत्यादि द्वारा मुन्तकिल करे। राजस्व रिकार्ड व मौका की यथावत् स्थिति कायम रखे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड एडी तलब किया गया। अप्रार्थी सं0 1,6,9,10,14 ने जवाब प्रार्थना पत्र मय वकालतनामा पेश किया तथा अप्रार्थीगण सं0 15 व 19 की ओर से वकील सुधीर कुमार गुप्ता द्वारा वकालतनामा पेश कर निवेदन किया कि पूर्व के प्रस्तुत जवाब को ही 15 व 19 की ओर से माना जावे। शेष प्रतिवादीगण की सम्यक तामील हो चुकी है तथा बाद तामील शेष अप्रार्थीगण उपस्थित नही अतः उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। तथा वकील पक्षकारान की प्रार्थना पत्र 212 पर बहस सुनी गई।

वकील प्रार्थी द्वारा दौराने बहस दिनांक 18.12.1985 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास में निर्णीत वाद सं0 44/82 के पक्षकारों, विषयवस्तु, अनुतोष एवं निर्णय पर सहमति जाहिर करते हुए कथन किया कि पूर्व में निर्णीत दावे में पक्षकारों के बीच विभाजन संबंधी निर्णय हुआ है चूंकि हाल वाद में उसके तथ्यों को साबित होना इस स्तर पर वांछित नहीं है। वर्तमान में वादी/प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में 1/9 हिस्से का खातेदार दर्ज है। अतः प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष में है अतः अंतरिम निषेधाज्ञा को ताफैसला स्थायी दावा किया जावे।

वकील अप्रार्थीगण ने दौराने बहस कथन किया कि विवादित आराजी के विभाजन का प्रश्न पूर्व में प्रस्तुत दावें में निर्णीत हो चुका है तथा वादी के हक की आराजी पर उसकी खातेदारी की घोषणा की जा चुकी है। वादी बदनियति से पूर्व निर्णय में प्राप्त आराजी से भिन्न आराजी में गलत इंद्राज का लाभ उठाना चाहता है इसलिए तथ्यों को छिपाकर आया है। वादी ने क्लीन हैण्ड से दावा पेश नही किया है। स्थगन आदेश से अप्रार्थी को नापूर्ति क्षति कारित हो रही है चूंकि पूर्व दावें में ही निर्णय हो चुका है अतः सुविधा का संतुलन अप्रार्थीगण के पक्ष में है अतः अस्थायी निषेधाज्ञा को खारिज किया जावे। वकील अप्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में वाद 44/82 के निर्णय एवं इस निर्णय की पालना में हुए नामान्तरण सं0 1425 की सत्यप्रतिलिपि पेश की।

उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। उभयपक्षकारान द्वारा दौराने बहस पूर्व में निर्णीत दावें वाद सं0 44/82 के पक्षकारान, विषयवस्तु, अनुतोष एवं निर्णय के संबंध में सहमति जाहिर की है तथा विभाजन की डिक्री होना स्वीकार किया है तथा पूर्व वाद के निर्णय की सत्यप्रतिलिपि के अवलोकन से भी प्रथम दृष्ट्या समान पक्षकार, विषयवस्तु, आराजी, अनुतोष होना दर्शित होता है। इससे यह साबित होता है कि पूर्व में विवादित आराजी के संबंध में पक्षकारों के मध्य विभाजन की डिक्री न्यायालय आदेश द्वारा जारी की गई है। निर्णय की प्रति से यह भी स्पष्ट होता है कि आ0 ख0नं0 812, 821, 823 को विभाजन द्वारा बहामी बंटवारे के

आधार पर वादी के पक्ष में रखते हुए डिक्री जारी की गई है। परंतु प्रस्तुत दस्तावेजो से यह तथ्य स्पष्ट नहीं होता है कि वादी का इन खसरों के अलावा अन्य विवादित खसरों के संबंध में क्या एवं किस रूप में कोई अधिकार बचा रहता है। पूर्व में जारी न्यायालय आदेश दिनांक 18.12.1985 में शेष विवादित आराजी के संबंध में वादी का हिस्सा या हक होने के संबंध में कोई निर्णय पारित नहीं किया गया है। प्रार्थी द्वारा भी दस्तावेज या बहस के दौरान किसी कथन से यह स्पष्ट नहीं किया है कि शेष आराजी के संबंध में पूर्व में हुए विभाजन के बाद किस रूप में कोई अधिकार शेष बचते है। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नामान्तकरण सं0 1425 में निर्णय दिनांक 18.12.1985 की डिक्री की इजराय के रूप में नामांतरण दर्ज किया जाने का अंकन है। जिसमें 812,821,823 खसरों का ही नामांतरण दर्ज किया गया है। प्रार्थी द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है कि जब डिक्री में केवल ख0नं0 812,821,823 ही उसके हिस्से में आये तथा नामांतरण भी इसी अनुरूप दर्ज हुआ तो शेष विवादित आराजीयात के संबंध में उसके अधिकार किस रूप में शेष रहे तथा वर्तमान जमाबंदी में शेष आराजीयात के संबंध में जो वादी का हिस्सा 1/9 दर्ज है वह किस प्रकार सही है तथा किस कारण से बना रहना चाहिए तथा क्यों इस इंद्राज को गलत नहीं कहा जाये। इस प्रकार प्रार्थी अपने कथनों, दस्तावेजों से वर्तमान जमाबंदी के इंद्राजात को सही साबित करने में तथा मामले को प्रथम दृष्ट्या अपने पक्ष में सबित करने में इस स्तर पर असफल रहे है।

चूंकि पूर्व में निर्णीत दावें में केवल आराजी खसरा नं0 812, 821, 823 के संबंध में ही निर्णय पारित किया गया है शेष विवादित आराजी के संबंध में निर्णय पारित नहीं किया गया है जबकि हस्तगत वाद शेष विवादित आराजी के संबंध में विभाजन हेतु प्रस्तुत किया गया है अतः प्रकरण पर पूर्व न्याय का सिद्धांत पूर्णतः लागू नहीं होता है। प्रकरण में वादी/प्रार्थी अपने पक्ष में साक्ष्य, दस्तावेजों के माध्यम से दावें की अग्रिम कार्यवाही में अपने पक्ष को साबित करने हेतु स्वतंत्र है परन्तु इस स्तर पर चूंकि प्रार्थी प्रथम दृष्ट्या मामला अपने पक्ष में सबित करने में विफल रहा है अतः निषेद्याज्ञा आदेश प्रार्थी के पक्ष में बनाये रखकर अप्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति एवं असुविधा कारित करने की अनुमति देना न्यायोचित नहीं है। अतः प्रकरण में पूर्व में जारी अंतरिम अस्थायी निषेद्याज्ञा दिनांक 03.02.2025 को खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर संलग्न मूलवाद रहे। सुनाया गया।

(मनीष कुमार जाटव)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (खैरथल–तिजारा)